RJPP, Vol. 15, No. 3, 2017, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411, Impact Factor 4.0000 (ICRJIFR)
UGC Approved Journal No. 43279

भारत की संघीय शासन व्यवस्था को प्रभावित करने वाली प्रमुख संस्थाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

डॉ0 अरुण कुमार वर्मा

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो0, राजनीति विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

सांराश

संघीय शासन व्यवस्था, शासन का ऐसा प्रारुप है जिसमें शासन और प्रशासन की सुविधा के लिए संपूर्ण शासन व्यवस्था को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख आधार है, संघीय एवं राज्य सरकारों के मध्य शक्ति विभाजन। भारत का संविधान भारत में एक ऐसी संघीय शासन प्रणाली स्थापित करता है जिसका आदर्श है सहयोगी संघवाद, लेकिन भारतीय संविधान लागू होने के लेकर अब तक भारतीय संघवाद के कई प्रारुप उभर कर आये है जिससे संघ और राज्यों के सम्बन्ध बदलते रहे हैं । प्रस्तुत शोधपत्र में उन संस्थाओं एवं तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है जो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रभावित करते हैं।

संकेतशब्द *संघवाद, सातवीं अनुसूची, सहयोगी संघवाद, संवैधानिक संस्थाऐं, नीति आयोग, राज्यपाल, वित्त आयोग।*

Reference to this paper should be made as follows:

डॉ0 अरुण कुमार वर्मा

भारत की संघीय शासन व्यवस्था को प्रभावित करने वाली प्रमुख संस्थाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन।,

RJPP 2017, Vol. 15, No. 3, pp. 75-80, Article No. 11 (RP588)

***Online available at** : http://anubooks.com/?page_id=2004*

भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत मे संघीय लोकतंत्र स्थापित किया है, यद्यपि भारतीय संविधान में कहीं भी संघ (Federation) शब्द का प्रयोग नही किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–1 में भारत को **'राज्यों का संघ'** (Union of State) घोषित किया गया है।[1] प्रारुप समिति के अध्यक्ष डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने **'राज्यों का संघ'** शब्दावली के महत्व को स्पष्ट करते हुए संविधान सभा में कहा था कि प्रारुप समिति के द्वारा इस शब्दावली का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि यद्यपि भारत का एक संघ राज्य है, लेकिन यह संघ राज्य किसी प्रकार से राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं देता है।[2]

संघीय शासन वह शासन व्यवस्था है जिसमें संविधान द्वारा राज्य की समस्त शासन सम्बन्धी शक्तियों का विभाजन दो सरकारों के मध्य कर दिया जाता है, ये दो सरकारें केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारें होती हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बडी विशेषता संघीय सरकार और राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में केन्द्र तथा राज्यों की बीच शक्तियों के वितरण की एक सुस्पष्ट योजना अपनाई गई है। संघ व राज्यों के विधायी सम्बन्धों का संचालन उन तीन सूचियों के आधार पर होता है जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का नाम दिया गया है। वर्तमान समय में संघ सूची में 100 विषय हैं जिन पर संघीय सरकार विधि बना सकती है, राज्यसूची में 61 विषय हैं जिन पर राज्य सरकारों को कानून का निर्माण का दायित्व सौंपा गया है, तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं,।[3] इस सूची में उल्लेखित विषयों पर संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा कानून निर्माण किया जा सकता है लेकिन समवर्ती सूची के विषय पर बनाये गये किसी कानून पर यदि संघ एवं राज्य द्वारा बनाये गये कानून में किसी तरह का गतिरोध होने की दशा में संघीय सरकार का कानून ही प्रभावी माना जायेगा। अवशिष्ट विषयों के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 कहा गया है कि अवशिष्ट विषय पर कानून निर्माण की शक्ति संघीय विधायिका (संसद) को होगी।

भारतीय संविधान के भाग–11 में संघ और राज्यों के विधायी (अनुच्छेद 245–255) एवं प्रशासनिक सम्बन्धों (अनुच्छेद 256–263) तथा भाग–12 में संघ एवं राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों (अनुच्छेद 264–307) की व्यापक व्याख्या की गयी है। हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक सहयोगी संघवाद की आदर्श व्यवस्था की स्थापना करना था, इसीलिए उन्होने संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य शक्ति विभाजन के साथ–साथ परस्पर सहयोग की स्पष्ट रुपरेखा प्रस्तुत की थी। सामान्यतः संविधान द्वारा किए गए इस शक्ति–विभाजन का उल्लंघन किसी भी सत्ता द्वारा नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर और किसी राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा संघीय सूची के किसी विषय पर निर्मित कानून अवैध होगा, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्त्व का होने के कारण संसद अनुच्छेद 249 के आधार पर उस विषय पर कानून बना सकती है। इसी प्रकार राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा इच्छा प्रकट करने अनु0 252 के आधार पर, संकटकालीन घोषणा होने अनु0 250 के आधार पर, विदेशी राज्यों से हुई सन्धियों के पालन हेतु अनु0 253 के आधार पर तथा राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर अनु0 356 के आधार पर संघीय विधायिका राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय एकता हेतु राज्य सूची के विषयों पर भी कानूनों का निर्माण कर सकती है।[4] उपरोक्त आधारों पर कई बार संघीय सरकार राज्यों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है जिसके कारण दोनो सरकारों के मध्य टकराव की स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिससे भारतीय संघीय व्यवस्था के आदर्श प्रतिमान (सहयोगी संघवाद) को खतरा उत्पन्न होता है।

भारतीय संघवाद निरन्तर परिवर्तनशील रहा है संविधान लागू होने के बाद से अब तक भारतीय

संघवाद के कई प्रतिमान उभर कर आये हैं। शायद इसीलिए संविधानविदों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है। के सी व्हीयर ने भारतीय संघ को अर्ध–संघ (Quasi-federation) कहा है। सर आईवर जैंनिग्ज ने कहा है कि यह ऐसा संघ राज्य नहीं जिसमें एकात्मक लक्षण सहायक लक्षण के रूप में दिए गए हो, यह तो एकात्मक राज्य है जिसमें संघात्मक लक्षण सहायक लक्षण के रूप में दिए गए हैं। यह तो ऐसा संघवाद है जिसमें मजबूत केंन्द्रीयकरण कि प्रवृति पायी जाती है। के॰ सन्थानम ने भारत के संघ को एक सूडों फेडरेशन (Pseudo federation) तथा एक सार्वभौम संघ (Paramount federation) कहा है। के॰पी॰ मुखर्जी ने तो यहाँ तक कहा है कि भारत एक संघात्मक राज्य है ही नही। डी॰सी॰ बनर्जी का विचार है कि भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है, किन्तु उसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। डी डी बसु का विचार है कि "भारत का संविधान न तो पूर्णरूप से एकात्मक है और न ही पूर्णरूप से संघात्मक, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है।" नारमन डी पामर के अनुसार, 'भारतीय गणतन्त्र एक संघ है तथा उसकी अपनी विशेषताएँ है जिन्होंने संघीय स्वरूप को अपने ढंग से ढाला है।" प्रो॰ पायली के विचार है कि "भारत के संविधान का ढांचा संघात्मक है, किन्तु उसकी आत्मा एकात्मक है। मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघवाद कहा है। जो भी हो हमारे संविधान निर्माता एक ऐसे संघ का निर्माण करना चाहते थे जिसमें संघीय सरकार एवं राज्य सरकारें राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखते हुए सहयोगात्मक भावना से शासन व्यवस्था का संचालन करें।[5]

भारतीय संघीय शासन व्यवस्था के स्वरुप को विभिन्न तत्वों एवं संस्थाओं ने प्रभावित किया है। जिनका वर्गीकरण हम तीन प्रकार से कर सकतें हैं प्रथम, संवैधानिक संस्थाऐं जिनकी व्याख्या संविधान में की गयी है। द्वितीय संविधानेत्तर संस्थाऐं जिनकी व्याख्या संविधान में नही है, तृतीय न्यायिक निर्णय जिन्होने संघ एवं राज्यों के सम्बन्धों को प्रभावित किया है।

संवैधानिक संस्थाऐं ऐसी संस्थाऐं होती है जिनका गठन स्वयं संविधान द्वारा किया गया हो या जिनके गठन के लिए राष्ट्रपति को सक्षम बनाया गया हो। इन संस्थाओं के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा ये संस्थाऐं स्वतंत्र रुप से कार्य कर सकें जिसके लिए इन्हें कार्यकाल एवं पद की संविधान द्वारा पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये संस्थाऐं संघ और राज्यों के सम्बन्धों के निर्धारण में महत्वपूर्ण निभाती हैं। इन संस्थाओं में राज्य का राज्यपाल, अनुच्छेद 356, वित्त आयोग, अखिल भारतीय सेवाऐं, इत्यादि प्रमुख हैं।

संविधान निर्माता भारत में एक ऐसी संघीय सरकार की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सहयोगी संघवाद की धारणा के आधार पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो सके और प्रशासनिक एकरुपता तथा राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। लेकिन चतुर्थ आम चुनाव (1967) के उपरान्त राज्यपाल की नियुक्ति और उसके अधिकार क्षेत्र को लेकर केन्द्र और राज्यों के मध्य मतभेद के कई मामले सामने आये जिसमें राज्यपाल ने केन्द्र सरकार के एजेन्ट के रुप में कार्य किया, सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धर्मवीर की भूमिका को लेकर पश्चिम बंगाल और केन्द्र सरकार के मध्य विवाद इतना उग्र हो गया कि राज्यपाल को ही स्थानान्तरित करना पडा।[6] 21फरवरी 1998 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भण्डारी ने लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मर्यादाओं को दरकिनार कर कल्याण सिंह की सरकार को बहुमत साबित करने का मौका दिये बिना ही बर्खास्त कर दिया। इसी प्रकार 21 मई 2005 बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की और इसके उपरान्त केन्द्र सरकार ने विधानसभा भंग करने की अधिसूचना जारी कर दी, जिसे उच्चतम न्यायलय ने असंवैधानिक घोषित कर राज्यपाल बूटा सिंह के साथ साथ केन्द्र सरकार को भी कटघरे में खडा कर दिया।

इसी तरह उत्तराखण्ड में भी राज्यपाल ने हरीश रावत सरकार को बहुमत साबित करने का मौका दिये बिना ही सरकार को बर्खास्त कर दिया, जिसपर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राज्यपाल तथा केन्द्र सरकार को कड़ी फटकार लगायी कि वह अनुच्छेद 356 का गलत प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार राज्यपाल की भूमिका ने भी संघीय व्यवस्था को अत्याधिक प्रभावित किया हैं।[7]

वास्तव में राज्यपाल का पद संघीय सरकार और राज्य सरकारों के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। राज्यपाल सहयोगी संघवादी व्यवस्था का आधार है, लेकिन राजनीतिक पक्षपात की भावना ने राज्यपाल की भूमिका को विवादास्पद बना दिया है। अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद रहा है। जिसने हमारी संघीय व्यवस्था को सबसे अधिक प्रभावित किया है। अनुच्छेद 356 के सम्बन्ध में आरम्भ से ही भय प्रकट किया गया था कि केन्द्र का शासक दल राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों का दमन कर सकता है। 1959 में केरल के साम्यवादी मंत्रिमण्डल को जिस प्रकार से पदच्युत किया गया, इससे यह स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार का भय निराधार नही है।संविधान लागू होने के बाद से अब तक अनेक बार राजनीतिक विद्वेष के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। संविधान 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने यह सिफारिश की थी कि यदि राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करें तो इस बात की जांच की जानी चाहिए कि वह किन आधारों पर इस निर्णय पर पहुचे है।[8] वास्तव हमारी संघीय व्यवस्था में अनुच्छेद 356 एक तरह से आवश्यक बुराई हैं।

संघीय शासन व्यवस्था संघ एवं राज्यों के मध्य करों के वितरण में वित्त आयोग की बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य राज्यों की आर्थिक जरुरतों को पूरा करने के लिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय असमानताओं को कम करने के लिए वित्तीय सहायता और अनुदान की सिफारिश करना होता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है तथा अनुच्छेद 275 के अनुसार यह राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता और अनुदान का स्वरुप एवं मात्रा तय करता है। लेकिन अपनी स्थापना से ही वित्त आयोग की भूमिका विवादास्पद रही है। राज्यों को दिये जाने वाले कतिपय अनुदान केन्द्रीय सरकार की स्वविवेकी शक्ति के अन्तर्गत आते हैं और राज्यों द्वारा यह आरोप लगाया जाता रहा है कि वित्त आयोग करों के वितरण में राज्यों के साथ पक्षपात करता है।[9] 14वें वित्त आयोग के केन्द्रीय करों को 32 प्रतिशत से बढाकर 42 प्रतिशत राज्यों को हस्तांतरित करने का सुझाव दिया है। यह सहकारी संघवाद की स्थापना की दिशा की एक महत्वपूर्ण कदम है।[10]

अखिल भारतीय सेवाऐं भी हमारी संघीय व्यवस्था को प्रभावित करती हैं क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से केन्द्र सरकार राज्यों की प्रशासनिक गतिविधियों पर नियत्रण रखती है। जिसको लेकर केन्द्र और राज्यों के बीच टकराव होता रहता है क्योंकि राज्य द्वारा बनायी विधियों का लागू करने का दायित्व शीर्ष नौकरशाही पर होती है जो कि संघीय सरकार के नियंत्रण में होती है।

वर्ष 1983 में स्थापित रणजीत सिंह सरकारिया आयोग ने संघ और राज्य के मध्य परस्पर समन्वय एवं विवादों का सुलझाने के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव दिया तथा आयोग के सुझाव को क्रियान्वित करते हुए 1990 में अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, ताकि संघ एवं राज्यों के मध्य सहयोग की भावना बढायी जा सके।[11]

संविधानेत्तर संस्थाऐं वे संस्थाऐं होती हैं जिनका प्रावधान संविधान में नही किया जाता है बल्कि संसदीय आधिनियम द्वारा इनकी स्थापना की जाती है, ये संस्थाऐं संविधान का अंग न होते हुए भी संघ एवं राज्यों के सम्बन्धों को बहुत अधिक प्रभावित किया हैं, जैसे–योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषद, इत्यादि।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के आर्थिक विकास को गति देने लिए 15 मार्च 1950 योजना आयोग की स्थापना की गयी, लेकिन योजना आयोग की भूमिका को लेकर संघ और राज्यों के मध्य विवादों में निरन्तर वृद्धि हुई है। अशोक चन्द्रा का मत है कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है।[12] पिछले 65 वर्षों में योजना आयोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने में पूरी तरह सफल नही हुआ। परिणामस्वरुप मई 2014 में केन्द्र में श्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता सम्भालते ही घोषणा की योजना आयोग अपने समावेशी विकास के उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहा है इसलिए अब समय आ गया है कि योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाये जो सहयोगी संघवाद की भावना को बढावा दे, और जो देश के समावेशी विकास को गति प्रदान कर सके। परिणामस्वरुप योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गयी। 6 फरवरी 2015 को नव गठित नीति आयोग की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विकास के लिए राज्यों के बीच सहकारी संघवाद और स्वथ्य प्रतिस्पर्धा की जरुरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि योजना आयोग की जगह स्थापित इस नई संस्था (नीति आयोग) का एक उददेश्य एक गतिशील संस्थागत तंत्र की स्थापना करना हैं, जहां सरकारी प्रणाली के बाहर प्रमुख व्यक्ति नीति निर्माण में अपना योगदान दे सकें। नीति आयोग की बैठक 23 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति भवन में हुई जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 'टीम इण्डिया' भावना से आगामी 15 वर्षों के विकास के विजन पर सहमति व्यक्त की। वास्तव में नीति आयोग एक ऐसा वैचारिक मंच है जिसमें संघीय सरकार और राज्यों के मध्य वैचारिक आदान प्रदान करके सहयोगी संघवाद की भावना का मजबूत करना है।[13]

राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी, योजना आयोग की भांति राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक संविधानेत्तर संस्था है, जो व्यवहार में मंत्रिमण्डल और संसद से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गयी है। प्रो0 सी पी भाम्भरी के अनुसार, योजना सम्बन्धी मामलों में केन्द्र तथा राज्यों के मध्य समायोजन की स्थापना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गयी थी। इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य योजना आयोग द्वारा देश के सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए बनायी गयी नीतियों और योजनाओं को अनुमोदित करना है। क्षेत्रीय परिषदें संविधानिक निकाय हैं जिनकी स्थापना वर्ष 1956 में पं0 जवाहर लाल नेहरु ने उस समय किया था जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिर्पोट पर विचार किया जा रहा था, उस समय पं0 नेहरु ने कहा कि एक ऐसा निकाय होना चाहिए जो राज्यों के बीच सहयोगात्मक भावना का निर्माण करे।

संघात्मक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। संविधान लागू होने के उपरान्त कई ऐसे मामले आये हैं जिसमें न्यायपालिका ने केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों को स्पष्ट किया है।

एस0 आर0 बोम्बई बनाम भारत संघ (1994) वाद का निर्णय अनुच्छेद 356 के सम्बन्ध में एक मील का पत्थर है जिसने संघ और राज्य के सम्बन्धों सबसे अधिक प्रभावित किया है फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए अनुच्छेद 356 और इससे जुडे विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की थी। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को इस फैसले के द्वारा रोक लगा दिया गया।[14] इस मामले के कारण संघ और राज्यों के सम्बन्धों पर भारी प्रभाव पडा। अरुणांचल प्रदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनः केन्द्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उसने एस0 आर0 बोम्बई मामले (1994) की अनदेखी की जोकि हमारे संविधान तथा व्यवस्था के लिए खतरनाक है। संघीय व्यवस्था के संतुलन के लिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग सही तरह से होना चाहिए।

इसी तरह मार्च 2016 में उत्तराखण्ड में कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस के 9 बागी विधायकों द्वारा हरीश रावत सरकार से समर्थन वापस लेने के उपरान्त रावत सरकार अल्पमत में आ गयी और उन्हे बहुमत साबित करने का मौका दिये बगैर राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी तथा राज्य राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक विफलता के सम्बन्ध में व्याख्या करता है लेकिन उत्तराखण्ड में राज्यपाल ने अनुच्छेद की प्रक्रिया का पालन नही किया और सरकार के बहुमत साबित करने से पूर्व ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। इस पर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को कडी फटकार लगायी और कहा कि वह अनुच्छेद 356 का गलत प्रयोग न करे क्योकि इसकी न्यायिक समीक्षा सम्भव है।[15]

वास्तव में, सैद्धान्तिक दृष्टि से सहकारी संघवाद की परिकल्पना अच्छी प्रतीत होती है। परन्तु इसे एक वास्तव में कार्यशील सहकारी संघीय व्यवस्था बनाना कठिन कार्य है। संघीय व्यवस्था के विभिन्न हितधारकों के बीच विवाद और प्रतिस्पर्धा मामले को अधिक जटिल बनाती है, जैसा हम पूर्व में देख चुके हैं। ये समस्याऐं विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में विद्यमान विशाल सामाजिक, आर्थिक और यहां तक कि सांस्कृतिक और विकासात्मक विविधताओं और असमानताओं के कारण उभरती हैं। क्योंकि इन्हें एक जैसी स्थितियां उपलब्ध नही हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रारुप पाया जाता है, जहां एक ओर विभिन्न अवसरों पर कई राज्यों ने राज्यों के सभी मामलों में स्वायतता की मांग की है वहीं दूसरी ओर राज्यों ने राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर संघीय सरकार के साथ सहयोग एवं समन्वय भी स्थापित किया है। वर्ष 2014 के बाद नीति आयोग की स्थापना और वस्तु एवं सेवा कर लागू होने बाद संघ और राज्यों के मध्य वैचारिक प्रवाह बढ़ रहा है जोकि सहयोगी संघवाद की स्थापना की दिशा में एक सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. उपाध्याय, जयजय राम, भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद, 2012।
2. रावर्ट एल हार्डग्रेव एण्ड कोचनीक, इण्डियाः गवर्नमेंट एण्ड पालिटिक्स इन ए डेवेलपिंग नेशनल, 2008।
3. भारतीय राजव्यवस्था, वाणी प्रकाशन इलाहाबाद, 2016।
4. जे मुनीर, एस सरकार, भारतीय संविधान 1950 अलिया लॉ एजेंसी, इलाहाबाद 2013।
5. फाडिया,बी एल एवं जैन,पुखराज भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2016।
6. वही।
7. हिन्दुस्तान हिन्दी दैनिक समाचार पत्र।
8. केन्द्र राज्यों सम्बन्धों पर गठित सरकारिया आयोग की रिर्पोट।
9. माहेश्वरी,बी एल, सेन्ट्रल–स्टेट रिलेशन इन सेवेन्टीज, 1973।
10. 14वें वित्त आयोग की सिफारिश रिर्पोट।
11. माहेश्वरी,बी एल, सेन्ट्रल स्टेट रिलेशन इन सेवेन्टीज, 1973
12. चन्द्रा अशोक, फेडरलिज्म इन इण्डिया, 1968।
13- niti.gov.in.
14. एस आर बोम्बई बनाम भारत संघ (1994) एआईआर 1994 एससी 1918।
15. हिन्दुस्तान हिन्दी दैनिक समाचार पत्र।